रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2012/पौष 5, 1934
No. 661] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2012/PAUSA 5, 1934

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 928(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों की सेवा से संबंधित शर्तों का विनियमन करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा और इसे 1 जनवरी, 1996 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 29 का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 29क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"29क. विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रहपूर्वक राशि—कोई स्थायी सरकारी सेवक उस स्थापन में, जिसमें वह सेवा कर रहा था अधिशिष्ट घोषित किए जाने पर, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प देता है तो वह, पेंशन के अतिरिक्त अनुग्रहपूर्वक राशि के लिए अवधारित किए जाने का हकदार होगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 30 का लोप किया जाएगा ।

6. उक्त नियमों के नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"31. संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति—कोई सरकारी सेवक जो विदेश सेवा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि या अंतरराष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में तैनात किया जाता है और जो उस संगठन से पेंशन प्रसुविधाओं के लिए हकदार हो जाता है अपने विकल्प पर,—

(क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन अभिदाओं का संदाय करेगा और इन नियमों के अधीन ऐसी सेवा की पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना करेगा ; या

(ख) पूर्वोक्त संगठन के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं का उपभोग करेगा और ऐसी सेवा की इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी सरकारी सेवक द्वारा खंड (ख) का विकल्प दिए जाने पर उसे सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं भारत में रुपये में ऐसी तारीख और ऐसी रीति में संदेय होंगी जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु यह और कि सरकारी सेवक द्वारा संदत्त पेंशन अभिदाय, यदि कोई हो, का उसे प्रतिदाय किया जाएगा "।

7. उक्त नियमों के नियम 32 में, –

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 18 वर्ष की सेवा के पश्चात् या सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन –";

(ख) उपनियम (1) में " पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर " अठारह वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियमों के नियम 36 के खंड (ख) में " इन नियमों के नियम 29" शब्दों के स्थान पर " अधिशिष्ट कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम" शब्द रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियमों के नियम 37 के उपनियम (3) में "समानुपातिक " शब्द का लोप किया जाएगा ।

10. उक्त नियमों के नियम 37क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 37क. किसी सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में समपरिवर्तन पर आमेलन के परिणामस्वरूप पेंशन के संदाय के लिए शर्तें –(1) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर उस विभाग के सभी सरकारी सेवक सामूहिक रूप से उस पब्लिक सैक्टर उपक्रम को उस समय तक जब तक कि वह उस उपक्रम में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित सरकारी सेवक पब्लिक सैक्टर उपक्रम में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आमेलित हो जाएंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार स्थानांतरित सरकारी सेवक को सरकार में प्रतिवर्तन का विकल्प या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी ।

(3) प्रत्येक स्थानांतरित सेवक द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(4) सरकारी सेवकों का पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति की तारीख को ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(5) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में सरकारी सेवकों के आमेलन पर जिन पदों पर वे थे, वह पद समाप्त हो जाएंगे ।

(6) वे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं कि सरकारी अधिशिष्ट कक्ष के माध्यम से पुनः तैनाती की जाएगी

(7) कर्मचारी, जिनके अंतर्गत स्थायीवत और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं आमेलन की तारीख को पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा प्रशासित होंगे ।

(8) कोई स्थायी सरकारी सेवक जिसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उसका कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रम की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रम से उसकी सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के आधार पर केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा ।

"स्पष्टीकरण — पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी जैसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है ।"

(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियां इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी ।

(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त वह कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देता है, औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होगा ।

(11) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा स्थायीवत और अस्थायी स्थानातंरित सरकारी सेवकों को उनकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में पुष्टि के पश्चात् उपलब्ध होगा ।

(12) किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कोई स्थायी सरकारी सेवक या अस्थायी या स्थायीवत सरकारी सेवक जिसकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में उसके आमेलन के पश्चात् पुष्टि की गई है, सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रम दोनों के पास दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए पात्र होगा और ऐसा व्यक्ति अर्हक सेवा के आधार पर पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा ।

(13) केंद्रीय सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारी के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संक्त किया जाएगा ।

(14) पब्लिक सैक्टर उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संबंधित पब्लिक सैक्टर उपक्रम और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(15) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(16) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का पालन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सरकारी सेवक की पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी ।

(17) पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के वित्तीय दायित्व को बांटने का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(18) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियम, 1981 में अधिकथित को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा ।

(19) पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा पेंशन निधि में उस उपक्रम के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो ।

(20) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ हो और पब्लिक सैक्टर उपक्रम भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को निधि या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नामे डाल दिया जाएगा ।

(21) किसी सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस निमित्त उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(22) दूर संचार सेवा विभागों और दूर संचार प्रचालकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन की दशा में उपनियम (13) से उपनियम (21) की कोई बात लागू नहीं होगी और पेंशनिक फायदे जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, का संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(23) उप नियम (22) में निर्दिष्ट पेंशनिक फायदों जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को पेंशनिक अभिदाय की दर सहित प्रबंध और रीति को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अनुसार इस मद्दे वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा ।

(24) उपनियम (30) के नियम प्रबंध विद्यमान पेंशन भोगियों और उन कर्मचारियों को लागू होंगे जिन्हें सरकार से सेवा निवृत्त हुआ समझा गया है ।

(25) किसी सरकारी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर-

(क) आमेलित कर्मचारियों के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे उपक्रम की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे उपक्रम में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे उपक्रम को अंतरित हो जाएंगे

(ग) पब्लिक सैक्टर उपक्रम के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे उपक्रम में आमेलन के पश्चात्वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण के समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छटनी के उपक्रम के विनिश्चय उस उपक्रम से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय के पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होंगे ।

(26) सरकार द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 51 प्रतिशत या अधिक की अपनी साम्य का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी ।

(27) उपनियम (26) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों में उपक्रम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत् सेवा या सरकारी कर्मचारियों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और अर्हक सेवा का शिथिलीकरण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

11. उक्त नियमों के नियम 37क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"37ख किसी सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत निकाय में संपरिवर्तन के फलस्वरूप आमेलन पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें --

(1) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन पर विभाग के सभी सरकारी सेवक एक साथ स्वायत निकाय को उस समय तक जब तक कि वह उस स्वायत निकाय में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित सरकारी सेवक स्वायत निकाय में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आमेलित हो जाएंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार स्थानांतरित सरकारी सेवक को सरकार में प्रतिवर्तन का विकल्प या स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग प्रत्येक स्थानांतरित सेवक द्वारा ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

(4) सरकारी सेवकों का स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति की तारीख को ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(5) स्वायत निकाय में सरकारी सेवकों के आमेलन पर जिन सरकारी पदों पर वे आमेलन पूर्व थे, वे पद समाप्त हो जाएंगे ।

(6) वे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं, की सरकारी अधिशिष्ट कक्ष के माध्यम से पुनः तैनाती की जाएगी

(7) कर्मचारी जिनके अंतर्गत स्थायीवत और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं, आमेलन की तारीख को पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा प्रशासित होंगे ।

(8) कोई स्थायी सरकारी सेवक जिसे स्वायत निकाय के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उसका कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का सरकार और स्वायत निकाय में की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए स्वायत निकाय से उसकी सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के आधार पर केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा ।

"स्पष्टीकरण — स्वायत निकाय में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी जैसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है ।"

(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियां इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी ।

(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त वह कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देता है, औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होगा ।

(11) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा स्थायीवत और अस्थायी स्थानातंरित सरकारी सेवकों को उनकी स्वायत निकाय में पुष्टि के पश्चात् उपलब्ध होगा ।

(12) केंद्रीय सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारी के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किया जाएगा ।

(13) स्वायत निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संबंधित स्वायत निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(14) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(15) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का पालन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सरकारी सेवक की स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी ।

(16) स्वायत निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के वित्तीय दायित्व को बांटने का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(17) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियम, 1981 में अधिकथित को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा ।

(18) स्वायत निकाय द्वारा पेंशन निधि में उस निकाय के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए, उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो ।

(19) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और स्वायत निकाय भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को निधि या स्वायत निकाय के नामे डाल दिया जाएगा ।

(20) किसी सरकारी विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस निमित्त उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(21) किसी सरकारी विभाग के स्वायत निकाय में संपरिवर्तन पर—

(क) आमेलित कर्मचारियों के स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे निकाय की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे निकाय में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी

(ख) आमेलन की तारीख को कर्सचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे निकाय को अंतरित हो जाएंगे

(ग) स्वायत निकाय के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे निकाय में आमेलन के पश्चात्‌वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छंटनी के निकाय के विनिश्चय उस निकाय से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय के पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होंगे ।

(22) सरकार द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 51 प्रतिशत या अधिक की अपनी साम्य का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे निकाय के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी ।

(23) उपनियम (22) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों में निकाय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत्‌ सेवा या सरकारी कर्मचारियों या स्वायत निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और, अर्हक सेवा का शिथिलीकरण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(22) दूर संचार सेवा विभागों और दूर संचार प्रचालकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन की दशा में उपनियम (13) से उपनियम (21) की कोई बात लागू नहीं होगी और पेंशनिक फायदे जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, का संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(23) उप नियम (22) में निर्दिष्ट पेंशनिक फायदों जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को पेंशनिक अभिदाय की दर सहित प्रबंध और रीति को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अनुसार इस मद्दे वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा ।

(24) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय सूचना सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा या आकाशवाणी और दूरदर्शन के काडर के बाहर के व्यक्तियों जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में सेवा कर रहे हैं तथा प्रसार भारती (भारत का प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अधीन स्थापित प्रसार भारती को अंतरित कृत्यों का पालन करने में लगे हुए हैं, लागू नहीं होगी ।

12. उक्त्‌ नियमों के नियम 48क में , —

(i) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ।

(ii) उपनियम (6) मे खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, —

"(क) अधिशिष्ट कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति से संबंधित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त, या"

13. उक्त नियमों के नियम 48ख का लोप किया जाएगा ;

14. उक्त नियमों के नियम 48ग का लोप किया जाएगा ;

[फा. सं. 38/80/08–पी एंड पी डब्ल्यू]

तृप्ति पी. घोष, निदेशक

टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।

1. का. आ. 254, तारीख 4फरवरी, 1989
2. का. आ. 970, तारीख 6मई, 1989
3. का. आ. 2467, तारीख 7अक्तूबर, 1989
4. का. आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का. आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का. आ. 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का. आ. 3269, तारीख 8 दिसंबर, 1990
8. का. आ. 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का. आ. 3273, तारीख 8 दिसंबर, 1990
10. का. आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का. आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का. आ. 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का. आ. 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा.का.नि. 399, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि.570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का. आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितंबर, 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा.का.नि. 389, तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ.904(अ), तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का.आ. 717 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि.75 (अ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसंबर, 2002
29. का.आ. 860 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ. 1483 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का.आ. 1487 (अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का.आ. 1821 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007
34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008

35. का.आ. 1028 (अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008

36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010

37. सा.का.नि.176, तारीख 8 जून, 2011

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioner's Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2012

G.S.R. 928(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

(1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2012.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 5, in sub-rule (2), the proviso shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st Day of January, 1996.

3. In the said rules, rule 29 shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 29A, the following rule shall be substituted, namely:-

"29A - Ex-gratia under Special Voluntary Retirement Scheme.- A permanent Government servant, who, on being declared surplus to the establishment in which he was serving, opts for Special voluntary Retirement Scheme, shall be entitled for determination of ex-gratia in addition to the pension".

5. In the said rules, rule 30 shall be omitted.

6. In the said rules, for rule 31, the following rule shall be substituted, namely :--

"31. Deputation to United Nations and other organisations.—A Government servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other